



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

९ वैशाख १९४२ (श०)

(सं० पटना २६०) पटना, बुधवार, २९ अप्रील २०२०

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

२५ मार्च २०२०

सं० ५ न०वि०/निर्वा-०६/२०१६-१४२३/न०वि०एवंआ०वि०—राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक ६०२ दिनांक २४.०३.२०२० द्वारा नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं उसके पश्चात् मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि ३०.०३.२०२० को कोरोना वायरस के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में दिनांक ३१.०३.२०२० तक राज्य में घोषित लॉक डाउन के आलोक में उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

२. चूँकि नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम का पाँच वर्ष के उपरांत अवसान की तिथि दिनांक २९.०३.२०२० को पूर्ण हो जायेगी, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम २००७ की धारा १२ (९) के प्रावधानों के तहत दिनांक ३०.०३.२०२० के प्रभाव से उक्त अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उक्त नगरपालिकाओं में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

३. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) २६०-५७१+१०-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>